

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

पत्रांक _____/पर्य0वि0, पटना, दिनांक अगस्त, 2013
परि0/यान-01/2013

प्रेषक :

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव, पर्यटन विभाग-सह-
अध्यक्ष,
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी कोषागार पदाधिकारी

विषय :- वित्त विभाग द्वारा नामित "राज्य कय संगठन" बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संगठनों के लिये मासिक भुगतान पर आधारित मोटर वाहन चालक उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0-एम-4-28/2013- 8630/वि0(2), दिनांक 22 अगस्त, 2013 के द्वारा राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संगठनों के लिये मासिक भुगतान पर आधारित मोटर वाहन चालक उपलब्ध कराने के लिये बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत "राज्य कय संगठन" नामित किया गया है । इसके आलोक में राज्य सरकार के किसी भी निकाय/ संगठन द्वारा निर्धारित दर पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से वाहन चालक की सेवा ली जा सकती है ।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा जिन विभागों/ निकायों/ क्षेत्रीय कार्यालयों को मोटर वाहन चालकों की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी, उन मोटर वाहन चालकों के देय पारिश्रमिक के भुगतान के लिये संबंधित कार्यालय को निम्न प्रकार से राशि प्रत्येक माह बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध करानी होगी :-

1	मजदूरी		
2	नियोक्ता द्वारा ई०पी०एफ० कन्ट्रीव्युशन	6,318:00	6318:00
3	नियोक्ता द्वारा ई०एस०आई० कन्ट्रीव्युशन	13.61%	887:00
4	पर्यवेक्षण एव सेवा शुल्क	4.75%	310:00
5	सेवाकर सेवाचार्जेज के रूप में	13%	847:00
	कुल राशि	12.36%	105:00
			8,467:00 प्रतिमाह

उपर्युक्त मजदूरी रविवार को छोड़कर प्रतिमाह 26 छब्बीस दिनों की गणना के आधार पर भुगतेंय होगा तथा श्रम विभाग/ वित्त विभाग से न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि होने पर तदनुसार मोटर वाहन चालकों को मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जायेगी जो सेवा प्राप्त करने वाली संस्था द्वारा देय होगा । अतिरिक्त कार्य दिवस के लिये श्रम विभाग के नियमानुसार सेवा प्राप्त करने वाले विभागों/ निकायों को अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा ।

उपरोक्त के आलोक में मासिक भुगतान पर आधारित मोटर वाहन चालक उपलब्ध कराने के लिये वित्त विभाग द्वारा नामित "राज्य कय संगठन" बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना से आवश्यकता के अनुरूप में मोटर वाहन चालकों की सेवा प्राप्त की जा सकती है ।

विश्वासभाजन,

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव, पर्यटन विभाग-सह-

अध्यक्ष,

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम,
पटना ।

ज्ञापांक- 2877

/ पर्य०वि०, पटना, दिनांक 23 अगस्त, 2013.

प्रतिलिपि - प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट टुरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को उनके पत्रांक 10/2013/TU/1500/13 दिनांक 03-07-2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव, पर्यटन विभाग-सह-
अध्यक्ष, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम,
पटना ।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संगठनों के लिए मासिक भुगतान पर आधारित मोटर वाहन चालक उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-129 के अन्तर्गत "राज्य क्रय संगठन" नामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मो० सउद)

अपर सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-28/2013...../वि०(2)

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

(मो० सउद)

अपर सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-28/2013...../वि०(2)

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को उनकी विभागीय संचिका सं०-परि./यान-01/2013 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(मो० सउद)

अपर सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-28/2013... 26.30...../वि०(2)

पटना, दिनांक. 22/8/13

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(मो० सउद)

अपर सचिव